Chhattisgarh Environment Conservation Board
Paryavas Bhavan, North Block, Sector-19
Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur (C.G.) 492002
Email address-hocecb@gmail.com

No. 5573 /H.O/CECB/2020 Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur, Date: 24 03 / /2020

To,

Director,
M/s Hind Energy And Coal Benefication (India) Ltd.
Village- Hindadih, Teh- Masturi,
Distt- Bilaspur (C.G.)

Sub: - Direction under section 5 of Environment (Protection) Act, 1986. Notice thereof.

Ref: - 1. Inspection of your industry on dated 21/09/2020 by officials of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

2. NGT order dated 12.04.2019 in O.A No. 804/2017.

Whereas, the Central Government has notified the Hazardous and Other Wastes Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (herein referred to as HOWM Rules, 2016) in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) act, 1986 and in supersession of the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 (herein referred to as HWM Rules, 2008) for safe and environmentally sound management of hazardous and other wastes; and

Whereas, as per Rule 4 (1) of the HOWM Rules, for management of hazardous and other wastes, an occupier shall follow the following steps namely (i) prevention; (ii) minimization ; (iii) reuse, recycling, recovery, utilization including co-processing, safe disposal; and

Whereas, as per Rule 4 (2) of the HOWM Rules, the occupier shall be responsible for safe and environmentally management of hazardous and other wastes; and

Whereas, as per Rule 6(1) of the HOWM Rules, the occupier engaged in handling, generation, collection, storage, packaging, transportation, use, treatment, processing, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilization, offering for sale, transfer or disposal of the hazardous and other wastes shall obtain authorization from the State Pollution Control Board Pollution Control Committee (SPCB/PCC); and

Whereas, as per Rule 23 of the HOWM Rules, 2016, lays down provisions with regard to liability for damages caused to the environment or third party including financial penalty for violation of provisions of the Rules; and

Whereas, officials from CECB inspected the unit on 21.09.2020 and following shortcomings were observed by inspecting team:-

1. Industry has not obtained authorization as per provisions of HOWM Rules, 2016.
2. Display board for hazardous wastes has not been installed at the main gate of the plant premises. .

Whereas, the above observations reveal that the industry is not complying with the provisions of HOWM Rules, 2016.

Whereas, Central Pollution Control Board has prepared "Determination of Environmental Compensation to be recovered for violation of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" in compliance to the Hon'ble NGT order in the matter of O.A. No. 804/2017 dated 12.04.2019.

Whereas, the violation done by the industry falls under Category-A under section-4 of the above mentioned guidelines prepared by CPCB. The compensation is calculated as Rs. 2,00,000/- (Two Lacs only) based on the formula for imposing financial penalty and environmental compensation as per the above guidelines.

Now therefore, in exercise of powers under rule 23 of the HOWM Rules, 2016 the unit is here by directed to show cause why a sum of Rs. 2,00,000/- (Two Lacs only) should not be imposed towards environmental compensation for not complying with the provisions HOWM Rules, 2016.

The reply of the show cause notice shall be submitted to CECB within 15 days from the issue of this notice, failing which CECB will be constrained to initiate action against the unit without giving any further notice in accordance with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.

Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur (C.G.)

Endt. No. 5574/H.O/CECB/2020 Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur, Date: 24 / 08 /2020

Copy to:-

1. The Member Secretary, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, Arjun Nagar, East, Delhi for information and approval as CECB is proposing to impose a sum of Rs. 2,00,000/- (Two Lacs only) as environmental compensation on M/s Hind Energy And Coal Benefication (India) Ltd. Village-Hindadih, Teh- Masturi, Distt-Bilaspur (C.G.) for violation of the provisions of HOWM Rules, 2016
2. The Collector, District- Bilaspur (C.G.) for information please.

D:\Direction\HECBL.docx

3. Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur for information and necessary action please.
4. Occupier, Hind Energy And Coal Benefication (India) Ltd. Village- Hindadih, Teh- Masturi, Distt-Bilaspur (C.G.) for information and compliance.

Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur (C.G.)

o/c

प्रति,

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर,
जिला – रायपुर (छ.ग.)

विषय :– मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड, ग्राम – हिण्डाडीह, तहसील – मस्तुरी, जिला – बिलासपुर के निरीक्षण के संबंध में।

संदर्भ :– सदस्य सचिव महोदय का निरीक्षण हेतु प्राप्त वाट्सएप संदेश दिनांक 10/09/2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड, ग्राम – हिण्डाडीह, तहसील – मस्तुरी, जिला – बिलासपुर का निरीक्षण 21/09/2020 को किया गया है। उद्योग का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

24.9.2020

(आर.के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़)

SE (m&I)

24.9.2020

निरीक्षण प्रतिवेदन

- मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड, ग्राम – हिण्डाडीह, तहसील – मस्तुरी, जिला – बिलासपुर का निरीक्षण दिनांक 21/09/2020 को किया गया है। निरीक्षण के समय डॉ. एम.पी. मिश्रा, मुख्य रसायनज्ञ, श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव एवं श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता तथा उद्योग प्रतिनिधि श्री जीतेन्द्र कुमार, पर्यावरण अधिकारी, श्री एस.पी. वर्मा, ए.जी.एम. एवं श्री रंजन त्रिवेदी, लाईजन ऑफिसर उपस्थित थे। निरीक्षण दिवस पर वॉशरी बंद पाई गई।
- यह एक कोल वॉशरी है, जिसमें ड्राई एवं वेट दोनों विधियों से कोयला की धूलाई की जाती है। ड्राई टाईप कोल वॉशरी की क्षमता – 2.40 मिलियम टन / वर्ष एवं वेट टाईप कोल वॉशरी की क्षमता – 1.20 मिलियम टन / वर्ष कुल क्षमता – 3.60 मिलियम टन / वर्ष
- वॉशरी में रोटरी ब्रेकर स्थापित है तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 03 नग बेग फिल्टर्स लगाये गये हैं, जिससे सबद्ध चिमनी की ऊंचाई पृथक–पृथक 30 मीटर है।
- वेट टाईप कोल वॉशरी में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु थिकनर स्थापित है।
- जल पुनःचक्रण के लिये 06 X 14 X 09 X 03 घनमीटर क्षमता के सेटलिंग टैंक बनाये गये हैं।
- परिसर के जल को एकत्रित करने के लिये गारलेण्ड ड्रेन एवं कच्चा पॉण्ड बनाया गया है।
- आंतरिक मार्ग पक्का है एवं जल छिड़काव हेतु स्प्रिंकलर्स स्थापित है।
- प्लांट परिसर में लगभग 9000 नग वृक्षोरपण किया गया है।
- निरीक्षण के दौरान पाये गये तथ्यः–
  1. 05 एकड़ क्षेत्र में कोल रेम स्टाफ एरिया में कोयला के ढ़ेर की ऊंचाई लगभग 5.5 मीटर है, जो विण्ड ब्रेकिंगवाल से लगभग 02 फीट नीचे है। इस प्रकार उद्योग के द्वारा कोयला के ढ़ेर का समतलीकारण (ग्राउण्ड लेवल) नहीं किया गया है।

2. सेटलिंग क्षेत्र में स्लज / कोल फाईन्स को निकालकर वही पर बड़े ढेर के रूप में जमा कर दिया गया है। सेटलिंग क्षेत्र की गृह व्यवस्था अत्याधिक असंतोषप्रद पाई गई।
3. उद्योग परिसर में 14 ड्रम (प्रत्येक 200 लीटर) युज्ड ऑयल एवं 02 ड्रम युज्ड ग्रीस का भण्डारण पाया गया।
4. युज्ड ऑयल एवं युज्ड ग्रीस परिसंकटमय श्रेणी के अपशिष्ट हैं। उद्योग के द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के तहत् प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया है और न ही मुख्यद्वार में डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है।

इस प्रकार उद्योग के द्वारा पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग को दिनांक 17/08/2020 को वायु अधिनियम के अंतर्गत कोयला के भण्डारण, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं हॉउसकीपिंग से संबंधित नोटिस जारी किया गया था। अतः नियमों के उल्लंघन के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नानुसार है:–

1. कोल वॉशरी, वृहद आकार, नारंगी श्रेणी।
2. नोटिस तिथि 17/08/2020 से निरीक्षण तिथि 21/09/2020 = 36 दिवस।
3. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रतिदिन – रूपये 37,500।
4. 36 दिवस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति – रूपये 13,50,000।
5. परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के तहत् प्राधिकार प्राप्त नहीं किये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति – रूपये 1,00,000।
6. परिसंकटमय अपशिष्ट का डिस्प्ले बोर्ड न लगाये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति – रूपये 1,00,000।
7. कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति – रूपये 15,50,000 (रूपये पंद्रह लाख पचास हजार मात्र)।

उपरोक्तानुसार उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने बाबत् क्षेत्रीय अधिकारी, बिलासपुर को निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

24.9.2020

(आर.के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ)